रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 1977/आषाढ़ 13, 1899

No. 283] NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 1977/ASADHA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 4th July 1977

S O. 518(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Dooria Tea Estate situated in the district of Sibsagar owned by Shri Ramachandra Bhagwandass, P O Badlipur, Assam, that,—

(a) the average yield of the said tea unit during the years 1971, 1972 and 1975 out of five years immediately preceding the year 1976, has been lower than the district average yield by twenty-five per cent;

(b) the persons owning the said tea unit have habitually made default in the payment of Provident Fund dues of workers and other employees and other dues which they are under obligation to pay under certain laws for the time being in force, and

(c) the said tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of Dooria Tea Estate, a body of persons consisting of:—

(1) Shri S. S. Nandkeolyar, Director of Development, Tea Board, Calcutta

(2) Shri P K Das Gupta, Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Tea Board, Calcutta

(3) Shri B K Bhuyan Agricultural Production Commissioner, Government of Assam Dispur Gauhati-6.

(4) Shri A K Roychowdhury, Deputy Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhavan, New Delhi

2. The above body shall submit its report to the Central Government within a period of ninety days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No B 12012(17)/76-Plant(A)]
P. K. KAUL, Addl Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1977

का० आ० 5 8(अ) —केन्द्रीय सरकार की, श्री रामचन्द्र भगवानदास, बादलीपार, आसाम के स्वामित्वाधीन, शिवसागर जिले मे स्थित दूरिया टी एस्टेट नामक चाय एकक की बाबत यह राय है कि —

(क) वर्ष 1976 से ठीक पूर्ववर्ती पाच वर्षों मे से वर्ष 1971, 1972 और 1975 के दौरान इस चाय एकक की औसत उपज जिले की औसत उपज से पच्चीस प्रतिशत कम रही है ,

(ख) चाय एकक के स्वामियो ने कर्मकारो तथा अन्य कर्मचारियो के भविष्य निधि देयो तथा ऐसे अन्य देयो का, जिसका सदाय करने के लिए वे तत्समय प्रवृत्त कतिपय विधियो के अधीन बाध्य है सदाय करने में बारम्बार व्यतिक्रम किया है , और

(ग) चाय एकक का प्रबन्ध ऐसे ढग से किया जा रहा है जो जाय उद्योग तथा लोक हित के लिए बहुत अहितकर है ,

अत: अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, दूरिया टी एस्टेट के मामलो का पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियो का एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित होगे .—

(1) श्री एस० एम० नन्दकुलियार, निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कलकत्ता

(2) श्री पी० के० दासगुप्त, वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड, कलकत्ता

(3) श्री बी० के० भुयां, कृषि उत्पाद आयुक्त, आसाम सरकार, दीसपुर, गोहाटी—6

(4) श्री ए० के० रायचौधरी, उप सलाहकार (वित्त) लोक उद्यम ब्यूरो, मयूर भवन, नई दिल्ली ।

2 उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[सं० बी० 12012(17)/76-प्लान्ट(ए)]
पी० के० कौल, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977